

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या सा-3-जी०आई०-28/दस-2008
लखनऊ : दिनांक 06 जनवरी, 2009

कार्यालय-ज्ञाप

शुद्धि-पत्र

वेतन सगिति उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01-01-2006 के उपरान्त रोवानिवृत्त/मृत कार्गिकों की पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1508/दस-2008-308-97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1515/दस-2008-308-97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि :-

(1) कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1508/दस-2008-308-97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-4(2) एवं 4(4) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा अन्तिम 10 माह में आहरित वेतन के औसत के 50 प्रतिशत, जो भी अधिक लाभप्रद हो, पेंशन अनुग्न्य होगी। यह व्यवस्था उन कार्गिकों पर लागू होगी जो दिनांक 01-01-2006 से 07-12-2008 के मध्य 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होंगे। जो कार्गिक दिनांक 01-01-2006 से दिनांक 07-12-2008 के मध्य सेवानिवृत्त हुए हों परन्तु उनकी अर्हकारी सेवा 33 वर्ष की पूर्ण नहीं होती है उन्हें पेंशन के पूर्व नियमों के अधीन, उनकी सेवा अवधि के आधार पर आनुपातिक दर से अनुग्न्य होगी।

(2) कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1508/दस-2008-308-97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-4(3) की द्वितीय पंक्ति में "उपरोक्त व्यवस्था के अधीन" के स्थान पर "उनकी सेवा अवधि के आधार पर आनुपातिक दर से" पढ़ा जाये।

(3) कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1508/दस-2008-308-97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-10 की अन्तिम पंक्ति में "पेंशन की गणना हेतु निम्नलिखित व्यवस्था अपनायी जायेगी के स्थान पर पेंशन की गणना हेतु निम्नलिखित धनराशियों को जोड़ा जाएगा," पढ़ा जाये।

(4) कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1508/दस-2008-308-97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-10 में निम्नलिखित अंश जोड़ा जाए :-

(ग) मूल वेतन के 40 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का फिटमेंट लाभ प्रकल्पित रूप से।

(5) कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1508/दस-2008-308-97, दिनांक 08-12-2008 के प्रस्तर-8 की पाँचवीं पंक्ति में की गयी व्यवस्था को निम्नवत् पढ़ा जाए :-

"80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर चुके/प्राप्त करने वाले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान उनके 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में ही किया जाये।"

2-कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1515/दस-2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-4(1) की द्वितीय पंक्ति में दिनांक 01-10-2006 के स्थान पर दिनांक 01-01-2006 पढ़ा जाए।

3-कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1515/दस-2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-5 में पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम सीमा रु० 3500/- प्रतिमाह से किये जाने का उल्लेख किया गया है उक्त प्रस्तर की अन्तिम दो पंक्तियों में की गयी व्यवस्था को निम्नवत् पढ़ा जाए :-

"जिन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को एक से अधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त है उनके मामलों में उक्त न्यूनतम सीमा का लाभ सभी पेंशन/पारिवारिक पेंशन के योग के रु० 3500/- प्रतिमाह से कम होने पर ही देय होगा।"

4-कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1515/दस-2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-5(1) की चौथी पंक्ति में "अधिक" के स्थान पर "कम" पढ़ा जाए और इसी प्रस्तर की पाँचवी पंक्ति में उल्लिखित "जहाँ केवल अवकाश पेंशन अनुमन्य है," को विलुप्त समझा जाए।

5-कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1515/दस-2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-6 की द्वितीय पंक्ति में दो बार उल्लिखित पारिवारिक पेंशनरों शब्द में से एक को विलुप्त समझा जाए।

इसी कार्यालय-ज्ञाप के प्रस्तर-7(ग) की द्वितीय पंक्ति में वर्ष 2008-09 में के पश्चात् " " तथा पाँचवी पंक्ति में पेंशनरों पारिवारिक पेंशनरों के स्थान पर पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों पढ़ा जाए।

6-कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1508/दस-2008, 308/97, दिनांक 08-12-2008 के प्रस्तर-4(7) तथा 7(2) तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1515/दस-2008-308/97, दिनांक 08-12-2008 के प्रस्तर-4(4) में उल्लिखित वरिष्ठ पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को सामान्य पेंशन की धनराशि पर अनुमन्य की गयी अतिरिक्त पेंशन पर समय-समय पर निर्गत महंगाई राहत भी अनुमन्य होगी।

7-उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1508/दस-2008-308/97, एवं संख्या सा-3-1515/दस-2008-308/97, दिनांक 08-08-2008 की संबंधित व्यवस्था इस सीमा तक संशोधित रागड़ी जाए।

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

- (1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र०।
- (2) समस्त कोषाधिकारी, उ० प्र०।
- (3) समस्त जिला अधिकारी, उ० प्र०।

स्थानीय पेंशनरों के संघटनों को देने हेतु इसकी एक या दो प्रतिलिपियाँ (कार्यालय सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाए) (प्रत्येक को 50 प्रतियाँ)

(कार्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु पाँच प्रतियाँ)

संख्या - सा-3-जी0आई0-28(1)/दस-2008, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- | | |
|---|------------------------|
| 1-सचिवालय के समस्त अनुभाग। | --प्रत्येक को एक प्रति |
| 2-सचिव, विधान सभा, परिषद, विधान भवन, लखनऊ। | --5 प्रतियाँ |
| 3-निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/3,
इन्दिरा नगर, लखनऊ। | --5 प्रतियाँ |
| 4-निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ। | --5 प्रतियाँ |
| 5-सूचना निदेशक, उ0 प्र0 लखनऊ को प्रचारार्थ। | --5 प्रतियाँ |
| 6-मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, उ0 प्र0 इलाहाबाद। | --5 प्रतियाँ |
| 7-मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षाविभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। | --5 प्रतियाँ |
| 8-वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ0 प्र0 कानपुर। | --5 प्रतियाँ |
| 9-उप भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद, उ0 प्र0, लखनऊ। | --5 प्रतियाँ |
| 10-इरला चेक अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ। | --5 प्रतियाँ |
| 11-मुख्य लेखाधिकारी, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, बिग्री कर विभाग,
खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुपालन निदेशालय,
कृषि विभाग तथा वन विभाग, लखनऊ। | --5 प्रतियाँ |

नागरिक उड्यन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, गन्ना तथा चीनी विभाग, राज्यपाल सचिवालय, आयुक्त चकबन्दी, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, लखनऊ, प्राणी अभियंत्रण सेवा, कारागार, उ0 प्र0 लखनऊ, निबन्धक सहकारी समितियाँ उ0 प्र0, महानिरीक्षक, होगगार्ड्स, उ0 प्र0 प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल, आबकारी विभाग, इलाहाबाद, भ्रम विभाग, कानपुर, लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद, परिवहन विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ, महानिदेशक, स्वास्थ्य, उ0 प्र0 लखनऊ, परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, शिक्षा विभाग, प्रौढ शिक्षा निदेशालय, मेडिकल कालेज आगरा, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेडिकल कालेज, मेरठ, मेडिकल कालेज, झाँसी, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।